



उल्लंघन पत्र / ईमेल द्वारा

भारत सरकार
खान मंत्रालय
भारतीय खान ब्यूरो
कार्यालय क्षेत्रीय खान नियंत्रक, जबलपुर

संख्या. - MCDR-MiFLOLST/44/2022-JBP-IBM_RO_JBP
सेवा में,

जबलपुर, दिनांक: 26.09.2023

श्री रिजू जौहर, (प्रबंध भागीदार & मालिक)
सर्वश्री एस एन संडरसन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड,
अमेहटा चूनापत्थर खदान,
एस - 01/56 के पीछे, सेक्टर - 1, ददा धाम,
पोस्ट & जिला - कटनी, मध्य प्रदेश -483501
ईमेल - riju.jauhar@snsunderson.com, contact.katni@snsunderson.com

विषय: मध्य प्रदेश राज्य के कटनी जिले में आपकी अमेहटा चूनापत्थर खान (9.86 हेक्टेयर), माइन कोड - 38MPR18009 में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के प्रावधानों का उल्लंघन।

महोदय,

दिनांक 13.09.2023 को इस कार्यालय के सहायक खनन अभियंता, श्री अभिषेक रंजन गौतम द्वारा, श्री अजय पाण्डेय, खान एजेंट, की उपस्थिति में किये गये निरीक्षण के दौरान आपकी उपरोक्त खान में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली (एम सी डी आर), 2017 के निम्नलिखित प्रावधानों का उल्लंघन पाया गया, जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

नियम स.	पाए गए उल्लंघन की विस्तृत प्रकृति
नियम 11 (1)	<p>खनन पट्टे के अंतर्गत खनन परिचालन. - (1) खनन पट्टे का कोई भी धारक भारतीय खान ब्यूरो द्वारा अनुमोदित, संशोधित या पुनर्विलोकित या राज्य सरकार द्वारा धारा 5 की उपधारा (2) के खंड (ख) के अनुसरण में स्थापित प्रणाली के अनुसार तैयार और अनुमोदित की गई खनन योजना के अतिरिक्त किसी भी क्षेत्र में कोई खनन संक्रिया आरंभ या परिचालित नहीं करेगा।</p> <p>उक्त खदान की खनन योजना का पुनर्विलोकन को इस कार्यालय के पत्रांक-MP/KATNI/LIMESTONE/RMP-58/2021-22 दिनांक 14.01.2022 द्वारा अनुमोदित की गई, जिसमें वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक कार्य करने के प्रस्ताव शामिल हैं। निरीक्षण के दौरान एम सी डी आर 2017 के निम्नलिखित प्रावधानों का उल्लंघन पाया गया है..</p> <ol style="list-style-type: none"> वर्ष 2022-23 में 175420 मीट्रिक टन चूनापत्थर का उत्पादन प्रस्तावित था लेकिन केवल 110390 मीट्रिक टन चूनापत्थर का उत्पादन किया गया। अर्थात; उत्पादन कार्य में कमी पायी गई है। खदान में प्रस्तावित क्षेत्र पिट की दक्षिण दिशा में पिलर नंबर 08 के पास में पुनर्भरण का कार्य नहीं किया गया है। खदान में प्रस्तावित क्षेत्र में वृक्षारोपण का कार्य नहीं किया गया है।

- इस संबंध में यह आपके ध्यान में लाया जाता है कि उपरोक्त उल्लंघन एम सी डी आर -2017 के नियम 62 के तहत दंडनीय अपराध है।
- एम सी डी आर -2017 के नियम 11(1) का पालन न करने पर एम सी डी आर -2017 के नियम 11(2) के प्रावधानों के तहत खनन संक्रिया को निलंबित किया जा सकता है।
- आपको सलाह दी जाती है कि उपरोक्त उल्लंघनों को तुरंत सुधारें और इस पत्र के जारी होने की तारीख से 45 (पैंतालीस) दिनों के भीतर इस कार्यालय को स्थिति से अवगत कराएं।

भवदीय,

(माधवराव साबरे)
वरिष्ठ खनन भूविज्ञानी
कृते क्षेत्रीय खान नियंत्रक
भारतीय खान ब्यूरो

प्रतिलिपि प्रेषित (ईमेल) :

01. संचालक, भौमिकी एवम खनिकर्म, मध्य प्रदेश सरकार, खनिज भवन, 29-ए, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.) को सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्रवाई हेतु.
02. खान नियंत्रक (मध्यांचल), भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर
03. जिलाधीश, जिला - कटनी (म.प्र.) सूचनार्थ ।

(माधवराव साबरे)
वरिष्ठ खनन भूविज्ञानी
कृते क्षेत्रीय खान नियंत्रक
भारतीय खान ब्यूरो